भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 589
गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 (17 माघ. 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों की सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा

589. श्री नवीन जिंदलः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देशभर में विमानपत्तनों की सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा के लिए वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान की गई ऐसी सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा के क्या परिणाम रहे; और

(ग) सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा प्रतिवेदन के आलोक में सरकार द्वारा देश के विभिन्न विमानपत्तनों में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एक विनियामक प्राधिकरण है, जो भारत के लिए, भारत से और भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं की देखरेख करने के साथ-साथ नागर विमानन विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। डीजीसीए को वित्त मंत्रालय के वार्षिक बजट के भाग के रूप में समग्र बजटीय सहायता प्राप्त होती है। यह सहायता दिन-प्रतिदिन के परिचालनों के लिए इसकी आवश्यकताओं, साथ ही भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और इसके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों के तहत हवाईअड्डों की निगरानी, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी, आदि के लिए इसके विनियामक कार्यों के निष्पादन को कवर करती है।

डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों का वार्षिक निगरानी निरीक्षण करता है और निरीक्षण के दौरान उठायी गयी आपत्तियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एयरोड्रोम प्रचालकों को सूचित किया जाता है। हवाईअड्डों पर सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है ताकि नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार हवाईअड्डे की अवसंरचना को बनाए रखा जा सके।

*****